न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
137 / 2020	2020 / 0302	24.12.2020	17.11.2022

उनवान प्रकरण

1. मुरली देवी पत्नि स्व. काना आयु 50 वर्ष
2. राजेन्द्र पुत्र स्व. काना आयु 31 वर्ष
3. दिनदयाल पुत्र स्व. काना आयु 28 वर्ष
4. प्रकाश पुत्र स्व. काना आयु 26 वर्ष
5. रोहिताश पुत्र स्व. काना आयु 24 वर्ष
6. महेन्द्र पुत्र स्व. काना आयु 22 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी बाडावाली तन रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—वादीगण

बनाम्

1. रामेश्वर पुत्र जीवनराम आयु 48 वर्ष
2. सागर पुत्र जीवनराम आयु 42 वर्ष
3. शैतान पुत्र जीवनाराम आयु 38 वर्ष
4. माली देवी बेवा जीवनराम आयु 65 वर्ष
5. राजू देवी पुत्री जीवनराम आयु 3[illegible]
6. नोलाराम पुत्र चीमाराम आयु 34 वर्ष
7. बनवारी पुत्र चीमाराम आयु 30 वर्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:57 IST
Reason: SelfAttested

17/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

8. बंशी पुत्र चीमाराम आयु 44 वर्ष
9. बिरबल पुत्र चीमाराम आयु 56 वर्ष
10. रामचन्द्र पुत्र चीमाराम आयु 46 वर्ष
11. रामूराम पुत्र चीमाराम आयु 38 वर्ष
12. मंगली बेवा चीमाराम
13. रिछपाल पुत्र बल्लूराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज०

14. मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज०
15. पटवारी पटवार हल्का नाथूर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
16. तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज०
17. उप पंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज०

——प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

18. मोहनलाल पुत्र भगवाना आयु 46 वर्ष
19. पप्पूराम पुत्र भगवाना आयु 40 वर्ष
20. रामवतार पुत्र भगवाना आयु 38 वर्ष
21. मुकेश पुत्र भगवाना आयु 33 वर्ष
22. राकेश पुत्र भगवाना आयु 28 वर्ष
23. प्रभाती देवी पुत्री भगवाना आयु 49 वर्ष
24. विमला देवी पुत्री भगवाना आयु 44 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी बाडावाली तन रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज०

——तरतीबी प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:57 IST
Reason: SelfAttested

13/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपस्थितः—

श्री दीपक बाजिया, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री हनुमानराम सामोता, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 24 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 31 की ओर से

<u>दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2101 रकबा 1.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 2102 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 2103 रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.75 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड के अनुसार अंकित हैं। उक्त भूमि पुराने खसरा नम्बर 1006 से बने है। उक्त खसरा नम्बर 1006 जिसका रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा बना हैं तथा नये रकबा में खसरा नम्बर 2101 व 2102, 2103 का कुल रकबा 1.75 हैक्टर कर दिया गया है अर्थात पूर्व रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा से अधिक रकबा वर्तमान हैक्टर के हिसाब से रकबा अधिक कर दिया गया है। भूमि खसरा नम्बर 3364 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 3365 रकबा 2.19 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.24 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा एवं तरतीबी पक्षकार के पिता भगवाना के नाम 1/2 हिस्सा की चली आ रही है। तरतीबी पक्षकार के पिता भगवाना का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिसान तरतीबी पक्षकार नम्बर 17 ता 23 है। उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 985, 987, 988 है। जिनका कुल रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा ... सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने उक्त भूमि के नये नम्बर बनाते समय ... कम करते हुए नये खसरा नम्बर 2103 बना दिये तथा उक्त पुराने ... 987, 985, 988 के कुल रकबा 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

13/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

बीघा 19 बिस्वा में से वर्तमान में गैर मु0 सड़क निकली हुयी है तथा पुराने रिकार्ड के नक्शे में भूमि खसरा नम्बर 2103 का यह सम्पूर्ण हिस्सा भूमि खसरा नम्बर 988 का ही हिस्सा बनता हैं, परन्तु भू-प्रबन्धक अधिकारियो की गफलत एवं लापरवाही से उक्त खसरा नम्बर 988 पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर 2103 को निकालकर पुराने खसारा नम्बर 1006 का हिस्सा बना दिया जो कि दुरूस्तनीय है अर्थात वादीगण के पूर्व में नाम दर्ज पुराने खसरा नम्बर 988 का नया नम्बर 2103 रकबा 0.17 हैक्टर अलग से दर्ज कर दिया जो कि वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार नम्बर 18 ता 24 की खातेदारी की भूमि में से कम किया गया हैं तथा उक्त खसरा नम्बर 2103 रकबा 0.17 हैक्टर सम्पूर्ण की खातेदारी वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। यहां पर विशिष्ठ रूप से उल्लेखनिय है कि राजस्व रिकार्ड/मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन करने से यह स्पष्ट तौर पर प्रतीत हो रहा है कि नये खसरा नम्बर 2101, 2102, 2103 रकबा 1.75 हैक्टर का पुराना रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा ही बनता है अर्थात 8 बिस्वा जमीन नये खसरा नम्बर में ज्यादा बढ़ गयी है। वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार के भूमि खसरा नम्बर 3364, 3365 का कुल रकबा 2.24 हैक्टर होता है। जो कि पुराने खसरा नम्बर 985, 987, 988 का बना है। जिनका पुराने खसरा नम्बर अनुसार रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा होता है लेकिन वर्तमान में उक्त रकबे में से 20 बिस्वा अर्थात एक बीघा 0.25 हैक्टर के लगभग भूमि कम कर दी गयी हैं। जो 0.25 हैक्टर लगभग भूमि में से सडक में चली जाने के पश्चात् शेष बची भूमि का नया नम्बर 2103 रकबा 0.17 हैक्टर अलग से बना दी गयी है। जबकि यह भूमि वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार के पुराने खसरा नम्बर 988 से ही कम की गयी है। जिसको वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 2103 को पुराने खसरा नम्बर 988 के राजस्व नक्शे से भी मिलान करते है तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त नये खसरा नम्बर 2103 वादीगण एवं तरतीबी पक्षकारान के पुराने खसरा नम्बर 988 का ही भाग हैं। इस कारण वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार को उक्त खसरा नम्बर 2103 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है तथा प्रतिवादीगण एवं अन्य का नाम हजफ किया जाना न्यायोचित है तथा खसरा नम्बर 2101 व 2102 की खातेदारी पूर्ववत वादीगण के नाम हिस्सा 1/12 एवं तरतीबी पक्षकार के पिता भगवाना के बजाय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:57 IST
Reason: SelfAttested

12/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उसे वारिसान तरतीबी पक्षकार के नाम 1/12 हिस्सा की पूर्ववर्त दर्ज फरमाया जाकर वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार का हिस्सा कब्जे काश्त के अनुसार अलग से विधिक तकास्मा किया जाना न्यायोचित है। वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2103 रकबा 0.17 हैक्टर भूमि पर वक्त बुजुर्गान से तन्हा रूप से बिना किसी बाधा व रोकटोक के प्रतिवादीगण की जानकारी में काश्त कर रहे है। इस कारण उक्त लम्बे कब्जे के आधार पर विपरीत कब्जा के आधार पर भी वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार कानूनन उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुके है ओर उक्त खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी है। वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार वक्त बुजुर्गान अर्थात पिता/दादा के समय से लगातार इस भूमि पर काबिज काश्त होने से उक्त भूमि बाबत खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी हैं अर्थात वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार अपने उक्त अधिकारो की घोषणा बाबत यह दावा प्रस्तुत कर रहे है, क्योंकि उक्त भूमि पर वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त है अर्थात इस भूमि पर वादीगण को कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है ओर उक्त अधिकारों की घोषणा किया जाना अति आवश्यक एवं न्यायोचित है क्योंकि उक्त खातेदारी अधिकारो की घोषणा के अभाव में वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो रहे है। जिसके बाबत वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार को सख्त हकतल्फी है तथा वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार उक्त घोषणा के अभाव में वक्त बुर्जुगान के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही कृषि भूमि का समुचित विकास नही कर पा रहे है तथा समय-समय पर भू-धारको को मिलने वाली राजकीय सहायताओ से भी वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार वंचित हो रहे है। वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार ने प्रतिवादीगण को अपनी उक्त भूमि खसरा नम्बर 2103 रकबा 0.17 हैक्टर भूमि की सम्पूर्ण खातेदारी अपने नाम करवाने के लिए बार-बार कहते रहे व वादीगण को प्रतिवादीगण उनकी उक्त भूमियों की खातेदारी वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार के नाम करवाने का काफी समय से आश्वासन देते रहे लेकिन दिनांक 12.12.2020 को प्रतिवादीगण ने वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार की उक्त भूमियों की खातेदारी वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार के नाम करवाने से स्पष्ट मना कर दिया व वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करने लग गये। यही वादकारण उत्पन्न होकर वादपत्र अदालत हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

Rathore 12/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जमीनों की बढ़ती कीमतों के कारण प्रतिवादीगण के मन में बेइमानी आ गई है एवं प्रतिवादीगण, वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लग गये हैं। व आये दिन भूमाफिया व्यक्तियों को उक्त भूमि को बेचान करने के लिए लाते हैं एवं प्रतिवादीगण, वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार को उक्त भूमि को हस्तान्तरण करने की कुचेष्टा में है व वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी भी दे रहे हैं इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित होगा। वाद कारण दिनांक 12.12.2020 प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के नाम खातेदारी दुरूस्त कराने से इन्कार होने व वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त हक हिस्सा की भूमि में मजाहमत करने व वादीगण को जोर जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने व दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगो को बैचान करने, रहन रखने तथा भूमि को खुर्दबुर्द करने तथा कृषि भूमि से अकृषि में तब्दील करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है व लगातार हो रहा है। प्रतिवादी नम्बर 14 के यहां भूमि रहन हाने से उसे तरतीबी पक्षकार बनाया गया है एवं प्रतिवादीगण नम्बर 15 ता 17 को आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाया गया हैं प्रतिवादीगण नम्बर 15 ता 17 राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी है। जिनके विरूद्ध वादपत्र आवश्यक प्रकृति का हैं। प्रतिवादी नम्बर 16 ता 24 वर्तमान में यहां उपस्थित नहीं होने से इन्हे तरतीबी पक्षकार बनाया गया है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 2103 रकबा 0.17 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर सम्पूर्ण का वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार को 1/2, 1/2 हिस्से का अर्थात वादीगण को 1/2 हिस्से का एवं तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 18 ता 24 को 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 13 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावें एवं उक्त भूमि पर रहन प्रतिवादी नम्बर 14 का हटाया जावे एवं शेष भूमि खसरा नम्बर कृषि भूमि खसरा नम्बर 2101 रकबा 1.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 2102 रकबा 0.25 हैक्टर पूर्ववत बदस्तूर रखते हुये वादीगण के नाम हिस्सा 1/12 एवं तरतीबी पक्षकार के पिता भगवाना के बजाय उसके वारिसान तरतीबी प्रतिवादीगण 18 ता 24 के नाम 1/12 हिस्सा का अलग से बंटवारा किया जाकर अलग–अलग बटा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किया जावे तथा अलग–अलग सींव कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:57 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

कर नक्शे में तरमीम करवाया जावें। प्रतिवादीगण के जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वे उक्त वर्णित नवीन कृषि भूमि खसरान नम्बर 2101 रकबा 1.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 2102 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 2103 रकबा 0.17 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न स्वयं करे, ना दीगर से करावें। इस हेतु वाद वास्ते उदघोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा एंव रिकार्ड दुरूस्ती बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण नम्बर 18 लगायत 24 की ओर से श्री हनुमान राम सामोता एडवोंकेट उपस्थित आये एंव इकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 6, 9, 13 लगायत 17 के सम्मन तामील साधारण तरीके से एंव प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 9, 11 लगायत 17 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादीगण में मुरली देवी, दीनदयाल व वादीगण साक्ष्य गवाह में बंशीधर, सुखदेव के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। वकील वादीगण ने वादपत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने एंव शेष प्रतिवादीगण संख्या 18 लगायत 24 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश कर दिये जाने से आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिस पर वादपत्र का अवलोकन किया। अवलोकन से उक्त वादपत्र के उदघोषणा का होने से प्रकरण के समस्त प्रतिवादीगण को सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक होने से तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वादपत्र में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 की तामील जरिये दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाना उचित समझने पर प्रकरण में पुनः तामील करवाये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 की तामील दैनिक समाचार पत्र [illegible]दूत में दिनांक 8 सितम्बर 2022 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:57 IST
Reason: SelfAttested

17/11/22
दिलीप सिंह
उप खण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

जयपुर संस्करण में प्रकाशित करवाये जाने के उपरान्त भी किसी भी प्रतिवादीगण के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 के विरूद्ध पुनः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 388/भू.अ./2022 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। इसके उपरान्त प्रकरण को बहस में रखा गया। वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 17 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से तथा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 लगायत 24 के द्वारा वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश कर दिये जाने से वकील वादीगण ने प्रकरण में बहस सुनी जाकर अन्तिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, 2027–2030, 2042, 2044–2047, 2046–2049, 2049–2052, 2053–2056 दो जमाबन्दियॉ, 2057–2060 दो जमाबन्दियॉ, 2061–2064 दो जमाबन्दियॉ, 2065–2068 दो जमाबन्दियॉ, 2069–2072 दो जमाबन्दियॉ, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, राजस्व नक्शा ट्रेस पुराना व नवीन, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर, इकबाली जवाब दावा व वादीगण साक्ष्य में प्रस्तुत वादीगण व वादीगण गवाहान् के प्रस्तुत लिखिलशुदा शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादपत्र में अंकित खसरा नम्बरान की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के बुर्जुगान् के नाम से राजस्व रिकार्ड में [illegible] प्रकट होता है। उक्त खसरा नम्बरान् के पुराने से नवीन [illegible] सैटलमेंट कर्मचारियों की लापरवाही से उक्त भूमियों का रकबा कम होना वादीगण [illegible] अपने वादपत्र में अंकित किया है। जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:57 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर के भूमि ख0 न0 2103 रकबा 0.17 है0 की खातेदारी जीवणराम वगै0 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त ख0 न0 2103 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0 न0 1006 मी. का भाग माना है। पुराने नक्शा व नया नक्शा का पारस्परिक मिलान करने पर उक्त ख0न0 वर्तमान 2103 साबिक ख0न0 988 का भाग है। वर्तमान ख0न0 2103 को साबिक ख0 न0 988 का भाग नहीं मानकर साबिक ख0न0 1006 मी. का भाग मानने से तदनुसार खातेदारी परिवर्तित हुई है। अतः वर्तमान ख0न0 2103 को साबिक ख0न0 988 का भाग मानते हुए खातेदारी शुद्ध करने की अभिशषां तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा की गई है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने से उक्त वर्तमान खसरा नम्बर 2103 को साबिक खसरा नम्बर 988 का भाग मानते हुए खातेदारी शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। जिसके आधार पर उक्त वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। जिस बाबत तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 18 लगायत 24 के द्वारा वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना प्रकट होता है। तरतीबी प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादीगण पक्षकार के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की उद्घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से ... का वाद बाबत् उदघोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 2103 रकबा 0.17 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील

Rathore
1?/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्रीमाधोपुर जिला सीकर सम्पूर्ण का वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार को 1/2, 1/2 हिस्से का अर्थात वादीगण को 1/2 हिस्से का एवं तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 18 ता 24 को 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 13 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है एंव उक्त भूमि पर रहन प्रतिवादी नम्बर 14 का हटाया जावे एवं शेष भूमि खसरा नम्बर कृषि भूमि खसरा नम्बर 2101 रकबा 1.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 2102 रकबा 0.25 हैक्टर पूर्ववत बदस्तूर रखते हुये वादीगण के नाम हिस्सा 1/12 एवं तरतीबी पक्षकार के पिता भगवाना के बजाय उसके वारिसान तरतीबी प्रतिवादीगण 18 लगायत 24 के नाम 1/12 हिस्सा का अलग से बंटवारा किया जाकर अलग–अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किया जावे तथा अलग–अलग सींव कायम कर नक्शें में तरमीम किया जावें। प्रतिवादीगण के जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि कि वे उक्त वर्णित नवीन कृषि भूमि खसरान नम्बर 2101 रकबा 1.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 2102 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 2103 रकबा 0.17 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में वादीगण एवं तरतीबी पक्षकार के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न स्वयं करे, ना दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

17/11/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/11/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.01 17:33:57 IST
Reason: SelfAttested